केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)

श्री सांई तारा कॉम्पलेक्स, आई०ए०एस० कॉलोनी, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-801503

(वेबसाइट - www.csbc.bih.nic.in)

बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं पुलिस की अन्य इकाईयों में चालक सिपाही तथा बिहार अग्निशाम सेवा में अग्निक चालक के रिक्त पदों पर पुरूष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु सूचना ।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि-23.03.2018

विज्ञापन संख्या-01/2018

बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं पुलिस की अन्य इकाईयों में सीधी नियुक्ति हेतु चालक सिपाही के पद (वेतनमान ₹5200-20200 (PB-1) + ग्रेड पे - ₹ 2000 छठा वेतन आयोग के अनुसार) की रिक्तियों की संख्या-700 (सात सौ) है तथा समान वेतनमान में बिहार अग्निशाम सेवा में अग्निक चालक के पद की रिक्तियों की संख्या-969 है ।

इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या-01/2018 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया **दिनांक-21.02.2018** से प्रारंभ होगी।

(i) पुलिस मुख्यालय की अधियाचना, पत्रांक-113/331700/पी-3 दिनांक-06.10.2017, (ii) पुलिस मुख्यालय का पत्रांक 129/332857/पी-3 दिनांक 12.10.2017 तथा (iii) गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना की अधियाचना, पत्रांक-4135, दिनांक-08.12.2016 एवं पत्रांक-4457, दिनांक-27.12.2017 (iv) बिहार सरकार, गृह विभाग, आरक्षी शाखा की अधिसूचना संख्या-7655 (बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली-2017), दिनांक- 20.09.2017 में विहित/वर्णित प्रावधान के आलोक में केन्द्रीय चयन पर्षद द्वारा उक्त रिक्तियों के विरूद्ध भर्ती की प्रक्रिया संयुक्त रूप से की जायेगी ।

उक्त "बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली-2017" में निहित प्रावधान एवं शर्तें तथा विहित प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थियों को विज्ञापन में दिये गये निर्देशों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थीगण अपना आवेदन विहित प्रपत्र में केन्द्रीय चयन पर्षद के वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर ऑन-लाइन समर्पित करेंगे। तदोपरान्त आवेदन-पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र सही पाये जायेंगे उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी।

Click here to get more latest Bihar Govt Jobs Recruitment Notifications Information

DRONA

यह एक संयुक्त परीक्षा है अतः ''बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली–2017'' में निहित प्रावधान के अनुसार ''संयुक्त परीक्षा की स्थिति में अवधारित अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को पदों के चयन हेतु अपनी प्राथमिकता बताना होगा''।

लिखित परीक्षा में कुल अंकों का 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल (Disqualify) घोषित किये जायेंगे तथा उन्हें 'शारीरिक दक्षता परीक्षा' में भाग लेने हेतु स्वीकृति नहीं दी जायेगी । लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी । लिखित परीक्षा केवल 'शारीरिक दक्षता परीक्षा' में भाग लेने हेतु अर्हक (Qualifying) होगी । अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा । शारीरिक दक्षता परीक्षा के न्यूनतम निर्धारित मानदण्ड/ मापदण्ड एवं अन्य जाँच में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी । लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के अधिकतम 5 (पाँच) गुणा चयन कर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा ।

शारीरिक दक्षता जाँच/परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ''बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली–2017'' में विहित प्रावधान के अनुसार मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायेगा ।

नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची 'वाहन चालन दक्षता जाँच/परीक्षा' के अधीन पाँच प्रतियोगिताओं (Event) यथा– (i) जीप, (ii) कार, (iii) बस/ट्रक चलाने की क्षमता जाँच (iv) मोटरयान अधिनियम एवं अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन वाहन चालन, यातायात चिन्हों और संकेतों से संबंधित ज्ञान की मौखिक जाँच एवं (v) विभिन्न गाड़ियों के पार्ट–पूर्जे, रख–रखाव तथा लुब्रिकेटिंग इत्यादि के सामान्य ज्ञान एवं वाहनों में आनेवाली यांत्रिक एवं तकनीकी त्रुटियों के सम्बन्ध में उम्मीदवारों की मौखिक जाँच में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी । तत्पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा चयन पर्षद द्वारा नियुक्ति पदाधिकारी को भेजी जायेगी ।

जिला पुलिस/बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य पुलिस इकाईयों में चालक सिपाही तथा अग्निशाम सेवा में अग्निक चालक की रिक्तियों के लिए चयन की प्रक्रिया एक साथ होगी ।

(1) चालक सिपाही / अग्निक चालक के पद पर आवेदन हेतु पात्रता :–

1.1 अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता :– चालक सिपाही के मूल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इण्टरमीडिएट (10+2) पास या समकक्ष अनिवार्य होगी ।

1.2 मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति :– मात्र वैसे ही पुरूष एवं महिला उम्मीदवार जिनके पास विज्ञापन की तिथि (21/02/2018) से कम से कम एक वर्ष पूर्व का हल्का मोटर वाहन (LMV) / भारी मोटर वाहन (HMV) चलाने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति होगी, इस पद हेतु आवेदन करने के योग्य होंगे ।

1.3 अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदण्ड – उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम ऊँचाई एवं सीना के मापदण्ड को पूरा करना आवश्यक होगा ।

(क) ऊँचाई –

(1) अनारक्षित (सामान्य), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए –

Click here to get more latest Bihar Govt Jobs Recruitment Notifications Information

न्यूनतम 165 सेन्टीमीटर ।

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के पुरूषों के लिए- न्यूनतम 162 सेन्टीमीटर ।

(3) भारतीय मूल के गोरखा के लिए सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस-1 (गोरखा बटालियन) में - न्यूनतम 160 सेन्टीमीटर ।

(4) सभी वर्गो की महिलाओं के लिए - न्यूनतम 153 सेन्टीमीटर ।

(ख) सीना (सिर्फ पुरूषों के लिए) -

(1) अनारक्षित (सामान्य), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए-

बिना फुलाए - 81 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 86 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के पुरूषों के लिए -

बिना फुलाए - 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर - 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

(3) भारतीय मूल के गोरखा पुरूषों के लिए सिर्फ बि०सै०पु०-1, (गोरखा बटालियन) में-

बिना फुलाए - 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

फुलाकर- 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)

(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

1.4 अभ्यर्थियों की उम्र (दिनांक-01.01.2018 को) "दसवीं-बोर्ड" के प्रमाण-पत्र के अनुसार निम्नवत होगी :-

(क) सामान्य (अनारक्षित) कोटि के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 25 (पच्चीस) वर्ष ।

(ख) पिछड़ा वर्ग/कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग/कोटि के पुरूषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 27 (सत्ताईस) वर्ष ।

(ग) पिछड़ा वर्ग/कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग/कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 28 (अठ्ठाईस) वर्ष ।

(घ) अनुसूचित जाति/कोटि एवं अनुसूचित जन-जाति /कोटि के पुरूषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष और अधिकतम उम्र 30 (तीस) वर्ष ।

(2) नियुक्ति की प्रक्रिया-

(क) प्रथम चरण - 'लिखित परीक्षा' - पर्षद सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रथम चरण में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा । ***लिखित परीक्षा का प्रश्न-पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा । प्रश्न वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) प्रकार के होंगे*** । लिखित परीक्षा में 100

Click here to get more latest Bihar Govt Jobs Recruitment Notifications Information

अंकों का एक प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या–100 होगी एवं परीक्षा की अवधि दो (2) घंटों की होगी । प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक (01) अंक देय होगा । ***लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दो से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे ।***

सभी कोटि (अनारक्षित/आरक्षित आदि) के जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में कुल अंकों का न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में सफल नहीं होंगे वे अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल (Disqualify) घोषित किये जायेंगे तथा उन्हें 'शारीरिक दक्षता परीक्षा' में भाग लेने हेतु स्वीकृति नहीं दी जायेगी ।

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम पाँच (5) गुणा सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जायेगा ।

शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में पर्षद उक्त अनुपात को उपयुक्त रूप से कम कर सकेगा ।

"लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हक (Qualifying) होगी ।"

ओ0एम0आर (OMR):– लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी ओ0एम0आर (OMR) आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाओं (यथा–रौल नम्बर, प्रश्न पुस्तिका नम्बर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर) की प्रविष्टि दिये गये आवश्यक निर्देशों/अनुदेशों के अनुसार करेंगे। उत्तर पुस्तिका (OMR) पर वांछित अनिवार्य जानकारी नहीं भरने अथवा गलत प्रविष्टि करने की स्थिति में अभ्यर्थिता स्वतः रद्द समझी जायेगी एवं उनके उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। इसके लिए पर्षद जिम्मेवार नहीं होगी।

(ख) द्वितीय चरण – 'शारीरिक दक्षता जाँच/परीक्षा' – शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हक (Qualifying) प्रकृति की होगी और इन जाँचों में कोई अंक देय नहीं होगा, किन्तु उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता जाँच में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

(1) **दौड़ –** उम्मीदवारों के लिए विहित पात्रता निम्न प्रकार है :–

सभी कोटि के पुरूषों के लिए –

एक मील (1.6 कि0मी0) की दौड़ के लिए समय सीमा –

[अधिकतम 7 मिनट में]

सभी कोटि की महिलाओं के लिए –

एक किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा –

[अधिकतम 7 मिनट में]

विनिश्चित समय से अधिक समय लेने वाले उम्मीदवारों को असफल घोषित कर दिया जायेगा ।

(2) **उँची कूद –** उम्मीदवारों के लिए विहित मानदण्ड निम्न प्रकार है :–

सभी कोटि के पुरूषों के लिए – न्यूनतम 3(तीन) फीट 6(छः) इंच

सभी कोटि की महिलाओं के लिए – न्यूनतम 2(दो) फीट 6(छः) इंच

(3) **लंबी कूद –** उम्मीदवारों के लिए विहित मानदण्ड निम्न प्रकार है :–

सभी कोटि के पुरूषों के लिए – न्यूनतम 10 (दस) फीट

सभी कोटि की महिलाओं के लिए – न्यूनतम 7 (सात) फीट

(4) **गोला फेंक –** उम्मीदवारों के लिए विहित मानदण्ड निम्न प्रकार है :–

सभी कोटि के पुरूषों के लिए – 16 पौंड का गोला न्यूनतम 14 (चौदह) फीट ।

सभी कोटि की महिलाओं के लिए – 12 पौंड का गोला न्यूनतम 8 (आठ) फीट ।

(5) **महिला उम्मीदवारों का वजन न्यूनतम 48 किलो ग्राम होना आवश्यक है ।**

उपर्युक्त तीनों स्पर्धाओं, यथा– ऊँची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धा / स्पर्धाओं में प्रत्येक में न्यूनतम विनिश्चित मानदण्ड पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जायेगा तथा उक्त तीनों जाँच/कार्यक्रम के लिए तीन (03) मौका प्रदान किया जायेगा ।

(6) यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट हो तो वह शारीरिक परीक्षा की तिथि से तीन दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेगा । पर्षद आपत्ति संबंधी अभ्यावेदन की सुनवाई करते हुए मामले का निपटारा आपत्ति प्राप्ति की तिथि को ही कर देगा ।

(ग) तृतीय चरण – मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जाँच – अवधारित शारीरिक दक्षता जाँच में सफल अभ्यर्थियों को मोटर वाहन चालन संबंधी दक्षता जाँच में सम्मिलित होने का अवसर दिया जायेगा । इस दक्षता जाँच का अधिकतम अवधारित अंक 100 होगा । उम्मीदवारों के प्रदर्शन (Performance) के आधार पर उन्हें निम्नलिखित रीति से अंक प्रदान किये जायेंगे –

(i) **टेस्टिंग ट्रैक :–** परीक्षण हेतु एक टेस्टिंग ट्रैक (नीचे दर्शाये गये चित्र के अनुसार) होगा, जिसमें छोटी गाड़ी (जीप तथा कार) को AH एवं BG के रास्ते उल्टे रूप में प्रवेश करना होगा और आयताकार ट्रैक के अन्दर गाड़ी का रूख बदलकर पुनः उल्टे रूप में BG एवं AH के रास्ते से ही बाहर आना होगा ।

(नोट :– यदि खंभे या ट्रैक की सीमा से गाड़ी का कोई भाग स्पर्श करता है तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।)

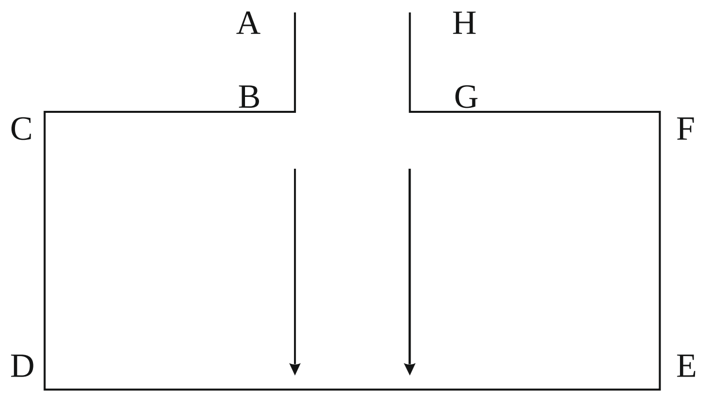

A से H = B से G=8’6” B से C = F से G=11’3”

C से D = E से F=25’6”   D से E = C से F=31’

A से B = H से G=21’

(ii) उपर्युक्त टेस्टिंग ट्रैक में जीप एवं कार चलाने में अंकों का अवधारण निम्न प्रकार होगा :-

(क) जीप चलाने की क्षमता की जाँच के लिए अधिकतम अंक - 20 (बीस) होंगे जो निम्नलिखित रीति से दिये जायेंगे :-

समय	गियर परिवर्तन	अंक
1 मिनट तक	3 गियर	20
1 मिनट तक	5 गियर	16
1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट तक	5 गियर	12
2 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट तक	5 गियर	08

(ख) कार चलाने की क्षमता की जाँच के लिए अधिकतम अंक - 20 (बीस) होंगे जो निम्नलिखित रीति से दिये जायेंगे :-

समय	गियर परिवर्तन	अंक
1 मिनट तक	3 गियर	20
1 मिनट तक	5 गियर	16
1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट तक	5 गियर	12
2 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट तक	5 गियर	08

(ग) बस/ट्रक चलाने की क्षमता की जाँच (जो खुले मैदान में लिया जायेगा) के लिए अधिकतम अंक-20 होंगे जो निम्नलिखित रीति से दिये जायेंगे :-

सभी गियर बदलकर बिना, गियर आवाज के गाड़ी चलाने पर	- 08 अंक
गाड़ी को आगे चलाकर 8 का चित्र बनाना	- 04 अंक
गाड़ी को पीछे चलाते हुए 8 का चित्र बनाना	- 08 अंक

(घ) उम्मीदवारों के वाहन चालन की ज्ञान की जाँच हेतु चयन पर्षद द्वारा गठित समिति द्वारा, मोटरयान अधिनियम एवं अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन, तथा यातायात के चिन्हों और संकेतों से संबंधित प्रश्नों की सूची में से उम्मीदवारों से 20 प्रश्न मौखिक पूछे जायेंगे, जिसके लिए अधिकतम 20 अंक दिये जायेंगे।

(ड.) विभिन्न गाड़ियों के पार्ट-पूर्जे, रख-रखाव तथा लुब्रिकेटिंग इत्यादि के सामान्य ज्ञान तथा वाहनों में आनेवाली यांत्रिक एवं तकनीकी त्रुटियों के सम्बन्ध में उम्मीदवारों की मौखिक जाँच की जायेगी । इसके लिए अधिकतम 20 (बीस) अंक दिये जायेंगे।

उपर्युक्त कंडिका- (क), (ख), (ग), (घ) एवं (ड.) में वर्णित प्रत्येक जाँच में न्यूनतम 06 (छः) अंक प्राप्त नहीं करने वाले उम्मीदवारों को असफल घोषित किया जायेगा।

(3) अंतिम मेधा सूची – (क) ''बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली–2017'' में निहित प्रावधान के अनुरूप अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची **''वाहन चालन दक्षता परीक्षा''** में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी।

(ख) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची अभ्यर्थियों द्वारा पदों के लिए बताये गये प्राथमिकता के आधार पर अलग–अलग तैयार की जायेगी।

(ग) मोटर वाहन के चालन संबंधी दक्षता की परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात उम्र में वरीय उभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अवधारित किया जायेगा अर्थात तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी मेधा क्रम में उपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वालें हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अवधारित की जायेगी अर्थात अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में उपर रहेंगे । इसके बावजूद यदि वरीयता का अवधारण नहीं हो पाये तो उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण–पत्र में यथोलिखित नाम के अंग्रेजी वर्ण माला के क्रम के अनुसार अवधारित की जायेगी ।

(घ) अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक–33.5%, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 35%, तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40% होगा।

(4) पूरक अनुशंसा सूची – ''बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली–2017'' में निहित प्रावधान के अनुरूप अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों के योगदान नहीं करने के कारण विज्ञापन के अधीन रिक्त पदों पर नियुक्ति करने हेतु पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुरोध पर, पर्षद द्वारा पूरक अनुशंसा सूचियाँ 06 माह तक निर्गत की जायेंगी। छः (06) माह की अवधि की गणना मेधा सूची (अंतिम परीक्षा परिणाम) के प्रकाशन की तिथि से किया जायेगा।

(5) चिकित्सीय जाँच, चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन –

(1) चालक सिपाही के पद पर नियुक्ति से पूर्व बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के फॉर्म सं0–103 के अनुसार चिकित्सीय जाँच एवं फॉर्म सं0–101 के अनुसार चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराया जायेगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं/अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाये जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किये जायेंगे।

(2) बिहार पुलिस हस्तक नियम, 658 (iv) में किये गये प्रावधान के अनुसार अभ्यर्थी को ऐसे रोग, गठन विकार या दैहिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए जिसके चलते वह कर्त्तव्यों के लिए अयोग्य हो या हो सकता हो।

(3) नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा। दृष्टि दोष, कलर ब्लाईन्डनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट, फ्लैट–फुट एवं नौकिंग–नी आदि की जाँच,

चिकित्सकीय जाँच में की जायेगी। नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा।

(4) हकलाना या तुतलाना जैसी त्रुटि के कारण अभ्यर्थी चुनाव का पात्र नहीं रह जायेगा।

(6) आरक्षण :-

(क) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 (बिहार अधिनियम-3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार विज्ञापन की तिथि को लागू आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे।

(ख) **महिलाओं के लिए प्रावधानः-**

आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 3 प्रतिशत पद पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्गो के शेष 97 प्रतिशत पदों के विरूद्ध 35 प्रतिशत पद प्रत्येक आरक्षित/गैर आरक्षित कोटि में अलग-अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरूष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा।

(ग) **बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नातीनी के संबंध में प्रावधान :-**

बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नातीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।

अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जायेगी। तदनुरूप उनके लिए अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएँ लागू होंगी।

(7) कट ऑफ तिथि :-

(क) यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता के लिए कट-ऑफ तिथि 01 जनवरी, 2018 निर्धारित की जाती है।

(ख) मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति हेतु कट-ऑफ तिथि - विज्ञापन की तिथि 21/02/2018 से कम से कम एक वर्ष पूर्व अर्थात 21/02/2017 या इसके पूर्व का निर्गत हल्का मोटर वाहन (LMV) / भारी मोटर वाहन (HMV) अनुज्ञप्ति ही मान्य होगी।

(8) रिक्ति :- रिक्तियों की संख्या- बिहार पुलिस में चालक सिपाही पद हेतु - 700 + अग्निशाम सेवा में अग्निक चालक पद हेतु 969 =1669 (सोलह सौ उनहत्तर) है ।

बिहार अधिनियम–3, 1992 ''बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण'' के प्रावधानानुसार विभिन्न आरक्षण कोटि की रिक्तियों की संख्या पुलिस मुख्यालय/गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी ।

<u>(9) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया</u> :– इन पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की पद्धति अपनायी गयी है। **दिनांक–21/02/2018 से ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी ।** विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में वेबसाइट – **www.csbc.bih.nic.in** पर विस्तार से बताया गया है । सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य पर ऑनलाइन आवेदन–पत्र का क्रय करना होगा । आवेदन–पत्र का मूल्य ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा।

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन–पत्र का मूल्य 450/–(चार सौ पचास) रूपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन–पत्र का मूल्य 112/–(एक सौ बारह) रूपये है।

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) अभ्यर्थियों से कोई राशि नहीं लेगी, किन्तु नेट बैंकिंग (Net Banking) या क्रेडिट/डेबिट कार्ड (Credit/Debit Card) प्रयोग करने पर बैंक चार्जेज का वहन अभ्यर्थियों को करना होगा। देश में प्रचलित सभी क्रेडिट/डेबिट कार्ड (Credit/Debit Card) एवं नेट बैंकिंग (Net Banking) के ट्रॉन्जेक्शन (Transaction) अनुमान्य होंगे।

<u>ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश</u> :–

ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन–पत्र भरने के पूर्व उपरोक्त दिशा निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन–पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही–सही अंकित करें। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन–पत्र को रद्द करने के साथ–साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केन्द्रीय चयन पर्षद की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर Bihar Police या Bihar Fire Services के Tab पर क्लिक करेंगे। इसी पृष्ठ पर दिये गये आवेदन–पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।

पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नम्बर और ई–मेल आई0डी0 रखें जो यथा सम्भव आपके नाम से पंजीकृत हो, उस का प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। **पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल आई0डी0 अनिवार्य है।** अभ्यर्थी द्वारा अपनी ई–मेल आई0डी0 (e-mail Id) को अँग्रेज़ी के छोटे अक्षरों में प्रविष्ट करना अनिवार्य है । यदि आपकी अपनी ई–मेल आई0डी0 (e-mail Id) नहीं है तो अपनी ई–मेल आई0डी0 (e-mail Id) अवश्य बना लें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के क्रम में महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपके ई–मेल आई0डी0 (e-mail Id) पर दी जायेंगी ।

भर्ती के अंतिम चरण के पूरा होने तक पर्षद अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नम्बर / ई–मेल आई0डी0 पर संवाद करेगा, जो पंजीकरण के दौरान दिया गया है। पर्षद गलत या अमान्य या डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नम्बर या ई–मेल आई0डी0 के लिए जिम्मेवार नहीं होगा ।

अभ्यर्थी को मात्र आवेदन–पत्र के मूल्य का ऑनलाइन भुगतान करना होगा । आवेदकों को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल आवेदन के लिए कई भुगतानों से बचना चाहिए । किसी भी मामले में भुगतान के बाद आवेदन शुल्क की राशि लौटाई नहीं जायेगी । अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण से राशि की कटौती हो जाती है और पंजीकरण नहीं हो पाता है तो शुल्क/राशि 07 (सात) कार्य दिवस के बाद लौटा दी जाती है ।

एक मोबाइल नम्बर से मात्र एक ही आवेदन–पत्र भरा जा सकेगा । आवेदन–पत्र भरते समय मोबाइल फोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए क्योंकि उसी मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा । यही पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ई–मेल आई0डी0 पर भी भेजा जायेगा।

<u>ऑनलाइन आवेदन पत्र दो भागों में भरा जायेगा :–</u>

<u>ऑनलाइन आवेदन–पत्र भाग–I</u> में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाता है। इस क्रम में अभ्यर्थी से संबंधित राज्य के निवासी, श्रेणी/कोटि, लिंग, मोबाइल नम्बर, ई–मेल आई0डी0, वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं जन्म तिथि आदि की जानकारी ली जाती है तथा मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड (Password) SMS/E-mail पर भेजा जाएगा।

<u>ऑनलाइन आवेदन–पत्र भाग–II</u> में सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात उपलब्ध कराये गये पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड से लॉगइन (Login) करने के बाद, उम्मीदवार को वांछित सूचनाएँ एवं शैक्षणिक योग्यता की सही जानकारी देते हुए घोषणा पर सहमति देनी होगी । तत्पश्चात् भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी । इसके बाद **(i)** आवेदक का फोटोग्राफ रंगीन, एक माह के अंदर खींचा हुआ, जिसका बैक ग्राउन्ड सफेद हो, 20 से 50 के0बी0 के बीच का, .jpg/ .jpeg फॉरमेट में, कम से कम 200 dpi (200px width X 230px height) का, एवं **(ii)** हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिन्दी में, 10 से 20 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg फॉरमेट में, कम से कम 200 dpi (200px width X 60px height) का, जो सफेद बैक ग्राउन्ड पर हो, ऐसे फोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है ।

फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिये गये निर्देश का पालन न करने की स्थिति में आवेदक का ऑनलाइन आवेदन–पत्र रद्द/निरस्त कर दिया जायेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नम्बर/ई–मेल आई0डी0 पर एक SMS/E-mail प्राप्त होगा तभी आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी । अभ्यर्थी अब अपना भरा हुआ आवेदन–पत्र A4 साईज के पेपर पर प्रिंट (Print) कर उसे भली–भाँति जाँच लेंगे तथा भविष्य में किसी भी तरह के पत्राचार अथवा मांगे जाने पर उपस्थापित करेंगे ।

आवेदन–पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं।

एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरा जाय । किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन–पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन–पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । *जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन–पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी ।*

अभ्यर्थी दसवीं की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र के आधार पर अपनी जन्म तिथि का सही–सही उल्लेख करेंगे । आवेदन–पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता, वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही–सही भरें । प्रमाण–पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो आवेदक/आवेदिका की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।

आवेदन–पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी । अतः आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा कोटि के हैं ।

आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी **कोटि/श्रेणी/जाति/वर्ग** के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की **वेबसाइट– http://gad.bih.nic.in/** पर समय–समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें ।

महत्वपूर्ण निर्देश :–

भरे गये ऑनलाइन आवेदन–पत्र को केन्द्रीय चयन पर्षद को भेजने की आवश्यकता नहीं है ।

परन्तु भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Registration Number आवश्यक है । अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन–पत्र (फोटो सहित) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें । केन्द्रीय चयन पर्षद से पत्राचार करते समय आवेदन–पत्र की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें ।

गलत/त्रुटिपूर्ण आवेदन–पत्र को सुधारने की प्रक्रिया :–

यदि अभ्यर्थी को लगता है कि उनके आवेदन–पत्र में गलत प्रविष्टि हो गयी है तो भुगतान की प्रक्रिया के पूर्व अभ्यर्थी एकबार अपने आवेदन–पत्र के भाग–II में सुधार कर सकते हैं ।

गलत/त्रुटिपूर्ण आवेदन–पत्र को रद्द कर नया आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया :–

यदि अभ्यर्थी को लगता है कि उसका गलत/त्रुटिपूर्ण आवेदन–पत्र अंतिम रूप से समर्पित (Submit) हो गया है और उसमें सुधार की आवश्यकता है तो अभ्यर्थी अपने पुराने आवेदन पत्र को रद्द कर पुनः फीस जमा कर, नया आवेदन–पत्र भर सकते हैं ।

ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि :–

ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि–23/03/2018 निर्धारित है एवं इसमें कोई विस्तार नहीं किया जायेगा । डाक या अन्य माध्यमों से भेजे गये आवेदन–पत्रों या सुधार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा ।

आवेदन–पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरान्त सभी आवेदन–पत्रों की जाँचोपरान्त अभ्यर्थियों का डाटा बेस बनाकर चयन से संबंधित अग्रतर कार्रवाई के लिए उन्हें प्रवेश–पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जायेगा । इस सम्बन्ध में विस्तृत सूचना समाचार–पत्रों के माध्यम से एवं पर्षद की वेबसाइट पर यथासमय दी जायेगी । कई आवश्यक सूचनाएँ आपको SMS/E-Mail के माध्यम से दी जाती हैं अतः अपना पंजीकृत मोबाइल फोन/ई–मेल आई0डी0 सक्रिय/जारी रखें ।

ह0/–

अध्यक्ष,

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),

बिहार, पटना ।

ज्ञापांक–491/के0च0प0

दिनांक–20/02/2018

अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) का कार्यालय,

श्री साईं तारा कॉम्पलेक्स, आई0ए0एस0 कालोनी,

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना– 801503